फा.सं. 15/6/2022-सतर्कता

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

(सतर्कता अनुभाग)

*****

तीसरा तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 1st नवंबर, 2023

सेवा में,

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

विषय: भारतीय स्टेट बैंक में अपर मुख्य सतर्कता अधिकारी (एडिशनल सीवीओ) के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

महोदया/महोदय,

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नानुसार 02 (दो) अपर मुख्य सतर्कता अधिकारी (एडिशनल सीवीओ) के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्रम सं.	**बैंक का नाम**	**तैनात किए जाने वाले अपर सीवोओ की सं.**	**स्थान**
1.	**भारतीय स्टेट बैंक**	01	**नई दिल्ली**
2.		01	**कोलकाता**

2. ब्यौरा निम्न पैराग्राफ में दिया गया है।

3. कार्यकाल:

अपर सीवीओ की प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि या अधिवर्षिता की आयु पूरा होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए की जाएगी।

4. अपर सीवीओ के लिए वेतनमान/अनुज्ञेय परिलब्धियां:

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अपर सीवीओ के रूप में चयनित अधिकारी अपने मूल संगठन में अपने मौजूदा वेतन और उस पर अपने मूल वेतन के 10% के समतुल्य प्रतिनियुक्ति भत्ता आहरित करेंगे। वे अपनी तैनाती के संगठन में अगले उच्चतर पद हेतु अनुज्ञेय परिलब्धियों के लिए भी पात्र होंगे।

5. पात्रता:

(क) भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्यरत उप महाप्रबंधक (डीजीएम) स्तर के अधिकारी (जिन्हें डीजीएम के स्तर पर सतर्कता/ऋण संबंधी 02 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो), जिनकी कम से कम 03 वर्ष की सेवा शेष हो, वे उपर्युक्त पद हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।

(ख) अभ्यर्थी को बड़े मूल्य के अग्रिमों के संबंध में कार्रवाई करने का अपेक्षित अनुभव हो तथा उसे अन्य वर्टिकल में भी पर्याप्त अनुभव हो।

6. चयन प्रक्रिया:

इन पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा अभ्यर्थियों का चयन उनके सेवा अभिलेखों तथा चयन समिति के साथ बातचीत के आधार पर सीवीसी के परामर्श से किया जाएगा।

7. विकल्प का प्रयोग:

अभ्यर्थियों को उपर्युक्त पैरा 1 में तालिका में सूचीबद्ध पदों के लिए आवेदन करते समय स्थान संबंधी अपने विकल्प और प्राथमिकता क्रम का उल्लेख करना चाहिए। अभ्यर्थियों को यथासंभव उनकी मेधा सह प्राथमिकता के आधार पर पदस्थापित किया जाएगा। तथापि, इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास रहेगा।

8. आवेदनों को अग्रेषित करना:

संबंधित संगठनों से अनुरोध किया जाता है कि वे इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदनों/नाम को संलग्न प्रारूप में उनके पूर्ण जीवन-वृत्त और विगत पांच वर्ष की उनकी वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) अर्थात् 2017-18 से 2021-22 तक की प्रमाणित प्रतियों (सभी तरह से पूर्ण) के साथ दिनांक **24.11.2023 (शुक्रवार)** को या इससे पहले इस विभाग को प्रेषित कर दें। इसके अलावा, इच्छुक अभ्यर्थियों का नाम भेजते हुए, यह सुनिश्चित किया जाए कि:

(क) इस कार्यभार को स्वीकार करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की सेवा कम से कम 03 वर्ष के लिए उपलब्ध करायी जा सके;

(ख) आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख (अर्थात दिनांक **24.11.2023**) की स्थिति के अनुसार अभ्यर्थियों की कम से कम 03 वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए;

(ग) अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता का कोई मामला लंबित नहीं होना चाहिए;

(घ) वे अधिकारी, जो विवर्जित अवधि के तहत हों, के नाम न भेजे जाएं।

(ड.) वे अधिकारी, जिनके कैरियर के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप उनके विरुद्ध कोई छोटी अथवा बड़ी शास्ति लगायी गई हो, अपर सीवीओ के पद हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं हैं और इसलिए उनके आवेदन को अग्रेषित न किया जाए।

9. इन पदों के लिए अभ्यर्थी का नाम एक बार भेजे जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में उसे वापस लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए, विचारार्थ नाम भेजते समय आवेदकों से यह शपथ पत्र लिया जाए कि एक बार अपर सीवीओ के पद के लिए नामित किए जाने का निर्णय लिए जाने के बाद वे किसी भी परिस्थिति में अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं लेंगे। इन पदों के लिए आवेदन अग्रेषित करते समय अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ इस शपथ पत्र की प्रति भी संलग्न की जाए।

10. इनमें से किसी भी पद पर संबंधित अधिकारी का चयन किए जाने पर, अपर सीवीओ के नए पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह का समय दिया जाएगा। तीन सप्ताह के पश्चात कोई उत्तर प्राप्त न होने पर, या दी गई तारीख तक इस कार्यभार हेतु निर्धारित स्थान पर रिपोर्ट न करने पर उक्त अधिकारी के मूल संगठन के द्वारा संबंधित अधिकारी को सूचित करते हुए किसी भी संगठन में उनकी प्रतिनियुक्ति पर 05 वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी। आवेदन का प्रपत्र अनुबंध [फार्म 1, 2, 3] में दिया गया है।

11. इच्छुक अधिकारी इस संबंध में सूचना देने के लिए अपने आवेदन की अग्रिम प्रति vigilance-dfs@nic.in पर ई-मेल के द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग को भेज सकते हैं। तथापि, अधिकारिक चैनल के माध्यम से आवेदन की प्रति प्राप्त होने पर ही उनकी अभ्यर्थिता पर विचार किया जाएगा।

भवदीय,

संलग्न: निर्धारित फार्म (03 संख्या)

(संजय कुमार झा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23748709
ईमेल: vigilance-dfs@nic.in

प्रतिलिपि: निदेशक/एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र की प्रति वित्तीय सेवाएं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

*****